



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-16/2023-24

सरकार

बनाम्

मो० फारूख

—: आदेश :—

दिनांक 11/8/22

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला पथरगामा थाना काण्ड संख्या-202/22 दिनांक-12.12.2022 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक-710/अप०शा० दिनांक-24.02.2023 से धारा-379/411/34 भा०द०वि०, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं०-JH17X-0769, ट्रेलर निबंधन संख्या-JH17A-TC-0022 तथा उस पर लदे बालू को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर निबंधन सं०-JH17X-0769, ट्रेलर निबंधन संख्या-JH17A-TC-0022, के मालिक एवं चालक के विरुद्ध अवैध रूप से बालू की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या-02 में इस कांड को धारा-379/411/34 भा०द०वि०, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर निबंधन सं०-JH17X-0769, ट्रेलर निबंधन संख्या-JH17A-TC-0022, के मालिक एवं चालक के विरुद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं०-JH17X-0769, ट्रेलर निबंधन संख्या-JH17A-TC-0022, के मालिक मो० फारूक, पे०-मो० खुर्शीद, सा०-मांजर, थाना-बसंतराय, जिला-गोड्डा के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक,

गोड्डा ने कांड में ट्रैक्टर निबंधन सं०-JH17X-0769, ट्रेलर निबंधन संख्या-JH17A-TC-0022 एवं उस पर लदे बालू के विरुद्ध धारा- 379/411/34 भा०द०वि०, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी मो० फारुक की ओर से कारण-पृच्छा दाखिल किया गया है। उनका कथन है कि विपक्षी को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के आदेश के आलो में अग्रिम जमानत प्राप्त हो गया है। उनका जप्त वाहन व्यासायिक वाहन है एवं थाना परिसर में खुले स्थान पर पड़े रहने के कारण खराब होने की संभावना है। इसलिए राजसात से मुक्त करने की कृपा की जाय।

सरकारी वकील का कथन है कि बालू परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध बालू प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है एवं जप्त कर पथरगामा थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तों के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का ट्रैक्टर निबंधन सं०-JH17X-0769, ट्रेलर निबंधन संख्या-JH17A-TC-0022, को अबंदोवस्त बालू घाट से बालू चोरी कर परिवहन करने में पकड़े जाने पर जप्त किया गया है। विपक्षी के द्वारा वाहन पर लदे अवैध बालू के संबंध में कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन अवैध तरीके से बालू चोरी एवं परिवहन में संलिप्त पाया गया है। लेकिन चूँकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा ने झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत जुर्माना राशि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि 8000.00 (आठ हजार) रू० जुर्माना राशि एवं एक लाख रू० का जमानत बंध-पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार का

कागजात के आधार पर जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं०—JH17X-0769, ट्रेलर निबंधन संख्या-JH17A-TC-0022, को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
2. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं० अंकित कर समर्पित करेंगे।

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि जुर्माना की उपरोक्त राशि, उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक लाख रु० का जमानत बंध-पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन एवं उस पर लदे बालू को विमुक्त करेंगे तथा इसकी सूचना सभी संबंधित को देंगे।
लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
गोड्डा।
18/8/23


उपायुक्त,
गोड्डा।
18/8/23

570 420-139
02.09.23

